

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का0आ0सं0-निग/सारा-4(पथ)-आरोप-21/2019

पटना, दिनांक :- 15/4/19

कार्यालय आदेश - 92

पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत माड़ीपुर-ओभरब्रिज-सरैयागंज टावर (मुजफ्फरपुर-रेवाघाट) पथ में कराये गये कार्य की उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-2, के द्वारा जाँचोपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं गुणक्ता प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा समीक्षोपरांत उपलब्ध कराये गये अनुसंशा की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ में पायी गयी कतिपय त्रुटियों/अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक-7551(S)We दिनांक-13.08.2015 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक शोध पदाधिकारी, पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर सम्प्रति: सहायक शोध पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर दिनांक-25.08.2015 की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी।

(2) प्रश्नगत मामले में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ कार्य में निम्न त्रुटि/अनियमितता पायी गयी:

(i) पथ के कि०मी० 2 रे एवं 3 रे में कराये गये PQC कार्य का औसत Compressive Strength 130.47 Kg/Cm^2 पाया गया, जबकि प्रावधान 280 Kg/Cm^2 का है।

(ii) पथ के कि०मी० 2 रे एवं 3 रे में कराये गये DLC कार्य में Cement: Sand: Chips का औसत अनुपात 1: 11.47: 15.96 पाया गया जबकि प्रावधान 1: 4.2 :9 का है।

3. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसके द्वारा विश्लेषणोपरांत आलोच्य पथ के 2 रें एवं 3 रें कि०मी० में कराये गये PQC कार्य का औसत Compressive strength प्रावधान से कम पाये एवं DLC कार्य में Cement: Sand: Chips का औसत अनुपात निर्धारित प्रावधान एवं टॉलरेन्स लिमिट से कम पाये जाने के लिए श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाये जाने की अनुसंशा की गई।

तदालोक में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम में श्री कुमार द्वारा दिनांक-25.08.2015 के समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के उपनियम -v के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है:

(i) "तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" ।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक :-

प्रतिलिपि :-

पटना, दिनांक :-

प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर बिहार) उपभाग पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, संख्या-1, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संजय कुमार, सहायक शोध पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक:-

3025 (E)

पटना, दिनांक :-

15/4/19

प्रतिलिपि :-

आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

15/4/19